

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
टेलीफैक्स-0141-2222403, ईमेल- stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/1661

दिनांक : 15-05-2017

आदेश

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन, विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 द्वारा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में नगरीय विकास से संबंधित परियोजनाएँ तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेन्ट्स का एम्पेनलमेन्ट किया गया था। इसी आदेश में उक्त एम्पेनलड कन्सलटेन्ट में से ही डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स भी लगाये थे। उक्त आदेश दिनांक 03.10.2013 की अवधि, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F.59/DLB/STP/Empa. Consultant (14)/15/1203 दिनांक 17.02.2017 को दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ायी गई है।

आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा किये गये डेडीकेटेड एम्पेनलमेन्ट कन्सलटेन्ट्स की सूची में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में आमजन के कार्यों के निस्तारण हेतु प्रारंभ किये "मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना" के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में तकनीकी सहयोग हेतु निम्नलिखित कन्सलटेन्ट्स को उनकी फर्म के नाम के समुख उल्लेखित श्रेणी में एम्पेनलडमेन्ट एवं नगरीय निकायों हेतु डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स लगाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र. स.	फर्म का नाम एवं पता	श्रेणी जिसमें एम्पेनलमेन्ट किया गया है।	नगरीय निकाय का नाम जिनमें डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट लगाया गया है।
1.	M/S G.S. Associates Plot No. 854-C, Jamuna Dairy Sodala, Ajmer Road, Jaipur Mob.No- 9828139093 E-Mail- gsassociates08@gmail.com	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 में वर्णित श्रेणी-VIII में SURVEY AND LAND ACQUISITION THROUGH LAND POOLING FOR VARIOUS ROJECTS/ROADS /SCHEMES में डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट हेतु प्रस्तावित	जयपुर, कोटा, दौसा, अलवर, झुन्डूनू, सवाई माधौपुर, सीकर एवं अजमेर जिलों की समस्त नगरीय निकायों में
2.	M/S SINGHAL DESIGN STUDIO 3B1 Multi Story Flats, Gandhi Nagar, Jaipur Mob.No- 8387969330 E-Mail- singahal.varsha17@gmail.com	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 के तहत कन्सलटेन्सी श्रेणी सर्विसेज की श्रेणी-I में Architectural Design Projects एवं श्रेणी-VIII में SURVEY AND LAND ACQUISITION THROUGH LAND POOLING FOR VARIOUSROJECTS /ROADS/SCHEMES में डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट हेतु प्रस्तावित	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर जिलों की समस्त नगरीय निकायों में


नगरीय निकाय पर उक्त सूची में से अथवा अन्य उपयुक्त कन्सलटेन्सी फर्म का अपने स्तर पर चयन कर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करवाये जाने हेतु अपने स्तर पर कार्य आदेश जारी कर सकें एवं कन्सलटेन्ट को भुगतान स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर किया जावेगा।  
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर, नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
7. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
8. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक